

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा,राज.,जयपुर
सी.सी.ए.नियम 17 के अन्तर्गत विचाराधीन लंबित प्रकरणों का विवरण **दि.5.05.2022 तक**

क्र.सं.	राज्य सेवक का नाम व पद	संबंधित नियम के अन्तर्गत जारी किये जापन की सं. एवं दि. संक्षिप्त में आरोप (वर्षवार क्रम में)	क्या आरोपित अधिकारी का उत्तर प्राप्त हो चुका है?	जांच अधिकारी का नाम व पद तथा नियुक्ति तिथि	क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? यदि हाँ / नहीं	क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? यदि नहीं तो जांच की वर्तमान स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2 व 3	4	5	6	7	8	9
1	श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 19.04.1969	एफ.1(सी) 1743 / जांच/368-371 दि. 15.02.21	राजकीय कार्यों में विलंब करने, संस्था प्रधान के प्रति असम्मान भाव प्रदर्शित करने, कार्यालय व्यय के विषय में गलत टिप्पणी करने, निविदादाताओं को भुगतान में देरी करने के आरोप में आरोपित।	हाँ			आरोपी को दि.15.02.2015 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित विभाग से पत्र दि. 5.3.21 एवं पत्र दि. 15.4.21 एवं 9.7.21, 24.11.2022,14.02.22, 22.4.22 के द्वारा के द्वारा उत्तर पर बिन्दुवार टिप्पणी चाही गयी है।
2	श्री सुभाषचन्द महावर, क.ले. 15.08.1989	एफ.1(सी) 1748 / जांच/696-99 दि. 19.07.21	उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने/राजकार्य में लापरवाही/उदासीनता बरतने, आगन्तुको/वरिष्ठ नागरिकों से अभद्र व्यवहार के आरोप में।	हाँ			आरोपी को दि.19.7.21 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर पत्र दि. 6.1.22 एवं 23.02.22, 22.4.22 के द्वारा संबंधित विभाग से उत्तर पर अपनी टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखा गया है।
3	श्री रूपकिशोर शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार . 05.11.1962	एफ.1(सी) 1756 / जांच/1232-35 दि. 24.02.22	सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बिना व कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना कुल 83 दिवस स्वैच्छिक अनुपस्थित रहे जो राजस्थान सेवा नियम-86(1) एवं 86(3) के प्रावधानानुसार दुराचरण करने के आरोप में।	नहीं			आरोपी को दि.24.02.22 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर अभी आरोपी से उत्तर अपेक्षित है।

सीसीए नियम 17 में आरोप पत्र प्रस्तावित:-

1. श्रीमती नीतू व्यास, कनिष्ठ लेखाकार